



UPSB010022002026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन—राम सुलीन सिंह, एच0जे0एस0—यू.पी.1886
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—967 / 2026

नीलकांत तिवारी उम्र लगभग 56वर्ष पुत्र स्व0 केशव चन्द तिवारी, निवासी—18 /
19 राम मन्दिर वी0आई0पी0 रोड ओबरा, पोस्ट व थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—: आदेश :-

04.06.2026

आवेदक/अभियुक्त नीलकांत तिवारी की ओर से अ0सं0—
74 / 2026 धारा—352, 351(2), 308(2)बी0एन0एस0, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र
के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत
प्रार्थना पत्र पर “ बल नहीं देना है” का पृष्ठांकन किया गया है।

चूंकि आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत
प्रार्थना पत्र पर “ बल नहीं देना है” का पृष्ठांकन किया गया है। अतः बल न
दिए जाने के कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक—04.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र